

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / सीडर / 2021 / 162

दिनांक 7.4.21


प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. किशनसिंह पुत्र मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित 2. नारायणसिंह पुत्र पुत्र मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित 3. तेजसिंह पुत्र पुत्र मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित 4. मूरसिंह पुत्र मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित 5. मानीदेवी पत्नी मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित 6. पार्वतीदेवी पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित 7. महावीर पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित नाबालिक जरिये कुदरती बली माता पार्वती देवी पत्नी उम्मेदसिंह निवासीयन केलनकोट तह.पचपदरा 8. जगमालसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित नाबालिक जरिये कुदरती बली माता पार्वती देवी पत्नी उम्मेदसिंह निवासीयन केलनकोट तह.पचपदरा		1. दुर्गासिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुरोहित 2. हमीरसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुरोहित 3. सोहनसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित 4. श्रीमति लीलाकंवर बेवा प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयन केलनकोट तह.पचपदरा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

मुकदमा नंबर 81 / 2020

आदेश

दिनांक 7.4.21

उपर्युक्त प्रकरण मौजा केलनकोट पटवार हल्का सिमरखीया मू-अमिलेख निरीक्षक थोब में खसरा नंबर 166/81 रकबा 36 बीघा 12 विस्वा तथा विप्रार्थी सं. 1, 2, व 4, के प्रतिदावा अनुसार खसरा सं 165/81 रकबा 36.12 बीघा भूमि सहस्रद विवादित खसरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगटी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रुपय 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपय मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें



क्रमांक / सीडर / 2021 / 167-167

(नरेश सोनी)
उपसंचालक अधिकारी
मौजा बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा
दिनांक 7.4.21

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना को पालना हेतु
3. पटवारी केलनकोट पटवार क्षेत्र सिमरखीया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
4. प्रार्थीगण किशनसिंह पुत्र मुकुनसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयन केलनकोट तह.पचपदरा
5. विप्रार्थीगण दुर्गासिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयन केलनकोट तह.पचपदरा

(नरेश सोनी)
उपसंचालक अधिकारी
मौजा बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा